संख्या/ ७१५ / XXIV-3 / 2006/2(76)/06

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 17 अगस्त,2006

विषयः जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/12091/जि0शि0अ0का0भवन निर्माण/2006–07 दिनॉक 22–06–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के आवासीय भवनों के निर्माण किये जाने हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा के गठित आगणन रू0 37.40 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 32.90 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 21.55 लाख (रूपये इक्कीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 233/XXIV–3/2006 दिनॉक 27–4–2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 300.00 लाख में से, व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक "4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत– 01– सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा– 91– जिला योजना– 9104– जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना) –24– वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–473/वित्त – 3/06 दिनॉक 25–7–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

संख्या: 314 (1)/XXIV–3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
7– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ।
9– कोषाधिकारी, अल्मोड़ा ।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
11– वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
14– संबंधित निमार्ण ऐजेन्सी।
15 – गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गणेश प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006)दिनॉक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जान सुनिश्चित करें।

11– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।